संख्या-3/234/एक-1-2018*12(21)/2006-126

प्रेषक,

आर0वी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुजपफरनगर।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉकः 15 फरवरी, 2018

विषयः- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 (3) के अन्तर्गत शासन की अनुज्ञा के बिना क्रय की गयी 12.50 एकड़ से अधिक (21.197 हे0 या 52.38 एकड़) भूमि कीमत का 25 प्रतिशत अर्थदण्ड जमाकर उसे मेसर्स गुलशन शुगर एण्ड केमिकल लि0 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-717/12ए/डी0एल0आर0सी0, दिनॉक 06-02-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत संस्था द्वारा बिना अनुमति के 12.50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय की गयी थी तथा अतिरिक्त भूमि सरकार में निहित हो जाने के उपरान्त उसे शुगर मिल की स्थापना हेतु औद्योगिक उद्देश्य से 30 वर्ष के लिये पट्टा करा लिया गया किन्तु 22 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उस पर कोई औद्योगिक कार्य नहीं किया गया तथा पटटे की शर्तो का उल्लंघन भी किया गया।

2. उपर्युक्त से स्पष्ट है कि विषयगत संस्था द्वारा 12.50 एकड़ से अधिक भूमि अर्जित किये जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। अतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 (3) के अन्तर्गत 25 प्रतिशत दण्डशुल्क जमाकर संक्रमण की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक मेसर्स गुलशन शुगर एण्ड केमिकल लि0 का प्रार्थना पत्र समस्त दृष्टया बलहीन एवं औचित्यहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

तदनुसासर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आर0वी0 सिंह

nasmadesh.up.nic.in

संयुक्त सचिव।

shashadesh.up.nic.in